



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554

e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-427/NH-53/Electric/2024-25/ 2135

Date: 15.01.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Improvement, Operation and Maintenance including strengthening and widening and existing 2 lane carriageway to 4/6 lane divided carriageway configuration for Nagpur - Kondhali section (km 9.200 to km 50.000) of NH-53 in the State of Maharashtra on BOT basis -Proposal to lay underground electrical cable crossing National Highway at 33 KV underground HT Cable national Highway from km 10.300 to km 13.220 on NH-53 on LHS in Nagpur Kondhali Section-Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Amravati letter no. 2701 dated 10.01.2025.
2. EE, Congress Nagar Div. MSEDCL Nagpur letter no. 5181 dated 03.12.2024.

It is to inform all concern that M/s MSEDCL letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PIU has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL for subject section is as follows:
 - Laying from km 10.300 to km 13.220 (LHS).
3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).
4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440001,
Maharashtra, Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(Akash Choudhary)
Manager (Tech.)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचआई/आरओ/एनएजी/यूटी-427/एनएच-53/इलेक्ट्रिक/2024-25/ 2135

तारीख: 15.01.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 के नागपुर-कोंढाली खंड (9.200 से 50.000) के लिए बीओटी आधार पर 2 लेन के कैरिजवे को मजबूत और चौड़ा करने तथा मौजूदा 4/6 लेन के विभाजित कैरिजवे विन्यास में बदलने सहित सुधार, संचालन और रखरखाव। - नागपुर कोंढाली सेक्शन में एनएच-53 पर किमी 10.300 से किमी 13.220 तक बाएं तरफ 33 केवी भूमिगत एचटी केबल राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते हुए भूमिगत विद्युत केबल बिछाने का प्रस्ताव।

संदर्भ:

- पीडी, पीआईयू अमरावती पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10.01.2025।
- ईई, कांग्रेस नगर डिवीजन एमएसडीसीएल नागपुर पत्र क्रमांक 5181 दिनांक 03.12.2024।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसडीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीआईयू ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

- मेसर्स एमएसडीसीएल द्वारा विषय अनुभाग के लिए प्रस्तावित संरक्षण निम्नानुसार है:
 - किमी 10.300 से किमी 13.220 (LHS) तक बिछाया जाएगा।
- मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
- उपरोक्त के मददेनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी होने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001,

महाराष्ट्र, दूरभाष: 0712-2520091 ईमेल: ronagpur@nhai.org

Man
15/01/25

(आकाश चौकसे)

प्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]